

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)**

**PC-VI No. 164
RBE No. 210/2009**

No.F(E)II/2009/FOP/1 Misc

New Delhi, dt.30.11.2009

The General Managers/OSDs/CAOs
All Indian Railways etc.
(As per Standard Mailing List)

Sub:- Fixation of pay in case of employees who seek transfer to a lower post under FR 15(a)- clarification regarding.

Reference is invited to Board's circular No. F(E)II/2003/FOP/1 Misc dated 17.04.2007 and 01.11.2007 on the above subject. DOP&T vide their O.M. No. 13/9/2009-Estt(Pay 1) dated 21.10.2009, have issued clarification regarding fixation of pay in case of employees who seek transfer to a lower post under FR 15 (a), a copy of which is forwarded for information and guidance.

Please acknowledge receipt.


(Sukhender Kaur)
Deputy Director Finance (Estt.)I
Railway Board.

DA/As above

No.F(E)II/2009/FOP/1 Misc

New Delhi, dt.30.11.2009

Copy to : Deputy Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No.224, Rail Bhawan, New Delhi (with 40 spares)


for Financial Commissioner/Railways

.....2/-

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

पीसी-VI सं. 164
आरबीई सं. 210/2009

सं. एफ(ई)II/2009/एफओपी/1 मिस.

नई दिल्ली, दिनांक: 30.11.2009


महाप्रबंधक/विशेष कार्य अधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें आदि
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय: एफआर 15 (क) के तहत निचले पद पर स्थानांतरण चाहने वाले कर्मचारियों के मामले में वेतन के निर्धारण से संबंधित स्पष्टीकरण।

उपर्युक्त विषय पर बोर्ड के दिनांक 17.04.2007 और 01.11.2007 के परिपत्र सं. एफ(ई)II/2003/एफओपी/1 मिस की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 21.10.2009 के अपने कार्यालय ज्ञापन सं. 13/9/2009-इस्टे (पे 1) द्वारा उन कर्मचारियों के मामले में वेतन के निर्धारण से संबंधित स्पष्टीकरण जारी किया है जिन्होंने एफआर 15 (क) के तहत निचले पद पर स्थानांतरण मांगा है, जिसकी एक प्रति सूचना एवं मार्गनिर्देश के लिए प्रेषित है।

कृपया पावती दें।


संलग्न: यथोक्त।


(सुखेन्द्र कौर)
उप निदेशक वित्त (स्था.)I
रेलवे बोर्ड

सं. एफ(ई)II/2009/एफओपी/1 मिस.

नई दिल्ली, दिनांक: 30.11.2009

प्रतिलिपि: भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) को प्रेषित।


कृते वित्त आयुक्त, रेलें